

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 64/2022

उनवान

- 1- अशोक कुमार पिता रामनारायण बोहरा(तेली) निवासी शाहपुरा
- 2- गोरव पुत्र रमेश चन्द्र मालू निवासी शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- सजनदेवी पत्नी लादू लाल वैष्णव निवासी कलिंजरी गेट शाहपुरा
- 2- राजपाल सिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत यादव निवासी तहनाल गेट शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- 1- श्री अंकित शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण
2- श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता विपक्षी सं० 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

--: निर्णय :-

दिनांक- 03/01/2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 1010 रकबा 0.60 है० कुल किता 1 रकबा 0.60 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी सं० 02 की ओर से अभिभाषक श्री राजेश वर्मा द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया एवं जवाब हेतु अवसर चाहा गया। विपक्षीगण संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण जवाब विपक्षी सं० 02 के प्रस्तुत करने के नियत किया गया। दिनांक 03.01.2024 को विपक्षी सं० 2 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से विपक्षी सं० 02 का जवाब बंद किया गया। तथा बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.60 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/01/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर